

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- एफ 8(3) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2021/11388-11408 जयपुर, दिनांक 19.09.2022

अधिसूचना

जिला कलक्टर सीकर से प्राप्त खरीफ फसल 2021 (संवत् 2078) की विशेष/नियमित गिरदावरी रिपोर्ट एवं फसल खराबे की पुष्टि में प्रेषित रिपोर्ट व दस्तावेजों के आधार पर बाढ़ से फसल खराबा होने पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के 61 ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 दिसम्बर, 2022 तक लागू रहेंगे।

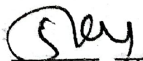
राज्यपाल की आज्ञा से,

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति० प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन शासन सचिव, जल संसाधन, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
14. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
15. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर राज.।
16. जिला कलेक्टर, सीकर राजस्थान।
17. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लॉट नम्बर 13 ऐयरपोर्ट प्लाजा दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर।
18. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
19. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
20. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
21. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।


उप शासन सचिव